न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

दीपक .... बनाम .... मूलसिंह

किस्म मुकदमा .... 5 नियम 9 CPC .... मु.नं. 363 वर्ष 23

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
16/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। [illegible] हेतु [illegible] चाही [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 30/10/25 को पेश हो।	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/12/25. को पेश हो।	
8/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 15/12/25 को पेश हो।	
15/12/25	पत्रावली वास्ते [illegible] पेश हुई। वकील [illegible] [illegible] पत्रावली का [illegible] A-cert [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.26 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना–पत्र / मु.सं.– 363 / 2023</u>

दीपक पुत्र भगवाना उम्र 28 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी ग्राम दुजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

01. मूलसिंह पुत्र बालसिंह
02. जयसिंह पुत्र मूलसिंह
03. दुर्गासिंह पुत्र मूलसिंह
04. मदनसिंह पुत्र मूलसिंह
05. प्रवीणसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
06. मैना कंवर पुत्र जयसिंह
07. संतोष कंवर पुत्री मूलसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दुजोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
08. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
09. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व 151 सीपीसी</u>
<u>(आवेदन अ.धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.सं. 56 / 2019 बउनवानी दीपक बनाम मूलसिंह आदि)</u>

उपस्थिति–
01. श्री बनवारी लाल बरवड़, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांक– 15.12.2025

वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "उपर्युक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 05.12.2022 नियत थी। उक्त टी.आई. आवेदन की पैरवी जरिए वकील की जाती रही है। उक्त टी.आई. आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् वकील साहब ने यह कह रखा था कि यह रेवेन्यू मामला है, जिसमें हर तारीख पेशी पर आपको आने की जरूरत नहीं है तथा पैरवी जरिए वकील की जाती रहेगी। न्यायालय में जब भी आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी आपको सूचित कर दिया जावेगा। प्रार्थी आश्वस्त हो गया तथा माननीय न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को जो तारीख पेशी [illegible] थी उस तारीख की आदेशिका में आगे 05.12.2022 की तारीख पेशी को कांट छांट करके [illegible] से वादी को क्षति पहुंचाने के आशय से दिनांक 14.12.2022 तारीख पेशी नियत कर दी गई। ज[illegible] प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली में दिनांक 25.12.2022 दी गई तथा दिनांक 05.12.2022 की आदेशिका में कांट छांट करके तारीख पेशी आगामी 14.12.2022 नियत कर दी गई। इस कारण प्रार्थी दिन[illegible] 14.12.2022 को माननीय न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.26 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। तथा ना ही दिनांक 14.12.2022 को मुझ अधिवक्ता को तारीख पेशी पर बुलाया गया तथा ना ही कोई आवाज दिलाई गई। इस कारण माननीय न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता व प्रार्थी/वादी स्वयं अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थी/वादी का टी. आई. आवेदन दिनांक 14.12.2022 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता दिनांक 25.12.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो रीडर साहब द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 14.12.2022 निर्धारित की गई थी तथा आपके अनुपस्थित रहने के कारण आपका टी.आई. आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा तारीख पेशी में कांट–छांट करने के कारण प्रार्थी का अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। कानूनन भी न्यायालय की गलती के कारण पक्षकार को दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त आदेश के स्थिर रहने से प्रार्थी/वादी के खातेदारी अधिकारों एवं विधिक अधिकार प्रभावित होकर प्रार्थी को अपार क्षति होगी। इस कारण न्यायहित में आदेश दिनांक 14.12.2022 निरस्त किया जाकर टी.आई. आवेदन को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई किया जाना उचित व आवश्यक है। उक्त टी.आई. आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की पूर्व में प्रार्थी/वादी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 24.12.2022 को तारीख पेशी पर अधिवक्ता के उपस्थित होने पर वकील साहब द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी तथा ना ही कोई फोन किया। दिनांक 19.06.2023 को टी.आई. आवेदन अपने प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी करने आया तो वकील साहब ने बताया कि आपका टी.आई. आवेदन दिनांक 14.12.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इस पर आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2023 को प्रस्तुत कर नकल दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त होने पर वकील साहब से संपर्क किया तो वकील साहब द्वारा अपील दिनांक 07.07.2023 को तैयार की गई। दिनांक 8 व 9 जुलाई का राजकीय अवकाश रहने तथा दिनांक 10.07.2023 को वकीलों द्वारा कार्य स्थगन रखने के कारण आज आवेदन यथाशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी में हुआ विलम्ब काबिले माफ है। इस हतु अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन पत्र उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी के विरूद्ध जारी अदम पैरवी व अदम हाजरी के आदेश दिनांक 14.12.2022 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की ओर से श्री सिकेन्द्र सिंह शेखावत, एड. ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु जवाब पेश नहीं किया।

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण आवेदन में प्रार्थी के द्वारा वाद सं. 70/2019 उनवान दीपक [illegible] मूल सिंह आदि के साथ वर्णित टी.आई. आवेदन सं. 56/2019 उनवान दीपक बनाम [illegible] आदि को न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 14.12.2022 को वकील वादीपक्ष/प्रार्थी [illegible] के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली दावा को अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। उक्त टी.आई. आवेदन की तत्समय की आदेशिका का भी अवलोकन किया गया। चूंकि वर्णित प्रकरण टी.आई. आवेदन सं. 56/2019 न्यायालय हाजा में वर्ष 2019 से लम्बित था, जिसमें वकील प्रतिवादीगण का जवाब पेश होना अपेक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.26 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट [illegible] जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-सीकर

था। इसी दौरान प्रकरण टी.आई. आवेदन में वादीपक्ष/प्रार्थीपक्ष की ओर से न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगवाने के बावजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारिज की गई थी। हालांकि वकील अप्रार्थीगण ने हस्तगत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया है। लेकिन प्रकरण के निस्तारण की सुगमता हेतु सद्भाविक रूख अपनाते हुये वर्णित प्रकरण टी.आई. आवेदन सं. 56/2019 की इस स्टेज पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी/वादी का हस्तगत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. व 151 सीपीसी को 500/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर टी.आई. आवेदन सं. 56/2019 उनवान दीपक बनाम मूल सिंह आदि को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला–सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.26 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested